न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC/ST (PoA) Act), सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मनोज कुमार तिवारी–I एच०जे०एस०

UPSD010026992016

SC ST Act/40/2016

राज्य------------------------------ अभियोजक

बनाम

1. सत्यदेव पुत्र सीताराम कुर्मी
साकिन कड़सरा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

---अभियुक्त

मु०अ०सं०–1678/2015
धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०
व 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना–बांसी, जनपद– सिद्धार्थनगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण मामला तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा मु०अ०सं० 1678/2015 धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना बांसी, जनपद– सिद्धार्थनगर के प्रकरण में विवेचना के पश्चात प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिए जाने के पश्चात विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा मामला दिनांक 22.08.2016 को सत्र परीक्षण हेतु उपांतरित किए जाने के पश्चात अंतरण द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि *"वादिनी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को इस आशय की हस्तलिखित तहरीर प्रभारी थानाध्यक्ष थाना कोतवाली बांसी को दी गयी कि दिनांक 11.12.2015 को समय 07.30 बजे सायं जब उसका पुत्र राजकपूर खेत से सांड़ को खदेड़ रहा था तो उसके गाँव के रहने वाले रामजीत व सत्यदेव ने गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्द कहकर उसके लड़के को लाठी–डण्डे व लात–मुक्के से मारने लगे तथा शोर सुनकर शेषराम, श्यामलाल, साधूसरन व तमाम लोग पहुँचे जिन्होंने घटना देखा व प्रार्थिनी के लड़के की जान बचाये।"*

3. वादिनी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुक्रम में अभियुक्तगण रामजीत व सत्यदेव के विरुद्ध थाना बांसी में मुकदमा अपराध संख्या– 1678/2015 अंतर्गत धारा 323, 504, 506 आईपीसी व धारा 3(1)(x) एससीएसटी ऐक्ट के तहत दर्ज किया गया तथा अभियोग कायमी थाने

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.16 16:31:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की जी डी संख्या–48 समय 21.25 बजे दिनांक 11.12.2015 में दर्ज कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बांसी को सौंपी गई।

4. विवेचना के क्रम में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बांसी द्वारा पर्चा संख्या 01 लगायत 04 किता किया गया। नकल चिक, नकल रपट व डॉक्टरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। वादिनी मुकदमा, साक्षीगण एवं अभियुक्तगण का बयान अंकित किया। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिए जाने के पश्चात मामला विशेष सत्र परीक्षणीय होने के कारण प्रकरण को सत्र परीक्षण हेतु उपांतरित किया गया जो इस न्यायालय को अंतरण के पश्चात विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2016 को धारा 323, 504, 506 आईपीसी व धारा 3(1)(x) एससीएसटी ऐक्ट के तहत आरोप विरचित किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की गई।

6. अभियुक्त रामजीत के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर अभियुक्त रामजीत की पत्रावली को अभियुक्त सत्यदेव की पत्रावली से पृथक किया गया।

7. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:–

क्रम सं०	साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
1.	पी०डब्लू०–1	मोहरी	वादिनी मुकदमा
2.	पी०डब्लू०–2	राजकपूर	चोटहिल
3.	पी०डब्लू०–3	हरिप्रकाश त्रिपाठी	तत्कालीन का०मु०
4.	पी०डब्लू०–4	डॉ० रविकान्त सिंह	चिकित्सक साक्षी

8. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये गये हैं:–

क्रम सं०	प्रपत्र का विवरण	प्रदर्श सं०	सत्यापनकर्ता का विवरण
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–3
3.	जीडी कायमी	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–3
4.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–3
5.	आरोपपत्र	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–3
6.	इंजरी रिपोर्ट राजकपूर	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–4

9. पत्रावली में जिन अभियोजन प्रपत्रों पर प्रदर्श डाले गये हैं, परन्तु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर छूट गये हैं, उनमें अभियोजन की प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

10. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 11/02/2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना के गलत होने एवं सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया किन्तु दिनांक 26.02.2026 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने का कथन किया गया।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

12. प्रस्तुत निर्णय में अभियुक्त से तात्पर्य अभियुक्त सत्यदेव से है।

निष्कर्ष

13. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त रामजीत के साथ मिलकर दिनांक 11.12.2015 को समय 07.30 बजे सायं जब वादिनी के पुत्र राजकपूर जो कि अनुसूचित जाति का है, ने अपने खेत से सांड को खदेड़ा तो राजकपूर को डंडे से मारकर चोटें पहुँचाईं व गाली गलौज कर उसे जाति सूचक शब्द कह अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी।

14. वादिनी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को इस आशय की हस्तलिखित तहरीर प्रभारी थानाध्यक्ष थाना कोतवाली बांसी को दी गयी कि दिनांक 11.12.2015 को समय 07.30 बजे सायं जब उसका पुत्र राजकपूर खेत से सांड़ को खदेड़ रहा था तो उसके गाँव के रहने वाले रामजीत व सत्यदेव ने गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक चमार शब्द कहकर उसके लड़के को लाठी–डण्डे व लात–मुक्के से मारा तथा शौर सुनकर वादिनी व गाँव के अन्य लोग मौके पर पहुँचे।

15. वादिनी के द्वारा बतौर पीडब्लू–01 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "*साक्षी को असल तहरीर का०सं० 4 क पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इसकी पुष्टि किया। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया*" इस प्रकार वादिनी ने बतौर पीडब्लू–01 अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोग दर्ज किये जाने हेतु थाने पर प्रस्तुत की गयी तहरीर प्रदर्श क–01 को साबित किया है।

16. तत्कालीन का0 मु0 थाना कोतवाली बांसी श्री हरिप्रकाश त्रिपाठी ने बतौर पीडब्लू–03 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*दिनांक 11.12.2015 को थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में का० मु० के पद पर कार्यरत था। उसी दिन वादिनी श्रीमती मोहरी थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया गया। वादिनी के प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा मु०अ०सं०– 1678/2015 थाना कोतवाली बांसी में कायम किया था। मेरे द्वारा मुताबिक प्रार्थना पत्र वादिनी अक्षरसः स्वयं बोल–बोलकर सीसीटीएनएस पर कंप्यूटर आपरेटर अवनीश कुमार पाण्डेय से चिक एफआईआर किता करवाया था और रपट कायमी मेरे द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया था, जो का०सं० 5 क संलग्न पत्रावली है। मैं का०सं० 5 क व चिक एफआईआर का०सं० 4 क/5*

*की पुष्टि करता हूँ। का०सं० 4क/5 पर **प्रदर्श क–2** व का०सं० 5क पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक द्वारा बयान लिया गया था*।"

17. जिरह में भी साक्षी पीडब्लू–03 ने कथन किया है कि "*वर्ष 2015 में बांसी कोतवाली में तैनात था। इसमें वादिनी मोहरी थाने पर दरखास्त लेकर आयी थी जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मेरे समक्ष मूल जीडी नहीं है। मेरे थाने पर वादिनी 21.15 मिनट पर दिनांक 11.12.2025 को आयी थी*।" चूंकि घटना दिनांक 11.12.2015 की है व घटना के 11 वर्ष बाद तत्कालीन का0 मु0 के बयान कराये गये हैं। इसी के कारण व अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अभियोग कायमी की तिथि बताते समय त्रुटिवश 2015 की जगह 2025 होना बताते हैं जो कि मानवीय भूल है।

18. उक्त साक्षी पीडब्लू–03 ने यह स्पष्ट किया है कि घटना की तिथि को ही रात 21.15 बजे वादिनी ने थाने में तहरीर दे दी थी तथा चूंकि तहरीर में घटना का समय सायं 07.30 बजे का उल्लिखित है, ऐसे में घटना घटने के पश्चात् दो घंटे के भीतर ही थाने में घटना की सूचना दिये जाने से यह स्पष्ट है कि सूचना देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

19. जहाँ तक घटना का प्रश्न है तहरीर में घटना की तिथि दिनांक 11.12.2015 समय 07.30 बजे की तब होना बतायी गयी है जबकि वादिनी का पुत्र राजकपूर अपने खेत चर रहे सांड को भगा रहा था।

20. वादिनी ने तहरीर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि उसके सामने ही घटना घटी बल्कि तहरीर में मात्र यह उल्लेख है कि उसके लड़के के गोहार पर वह तथा गांव के अन्य लोग मौके पर पहुँचे।

21. वादिनी ने बतौर पीडब्लू–01 अपनी जिरह में यह स्पष्ट किया है कि "घटना सीवान में घटित हुई थी। घटना गाँव के पूरब तरफ दो–तीन बीघा की दूरी पर है। घटना के समय मैं घर पर थी। दो–तीन औरते बाहर शौच के लिए गयी थी। उन लोगों ने बताया कि लड़को–लड़को में झगड़ा हो रहा है। मैं अकेली दौड़ी गयी, गोहार लगायी तब और लोग भी आए। जब मैं पहुँची तब मेरा लड़का चोटहिल हालत में गिरा पड़ा था। प्रधान लालजी शुक्ला चोटहिल हालत में मेरे लड़के को उठाकर अस्पताल लाये। लड़के ने मारने वालों का नाम हम लोगों से बताया था। *पहुँचने पर सब लोग अपने आप जान गये कि वही लोग मारे हैं। वहाँ मौके पर जब मैं पहुँची तो न तो सांड को देखी न मुल्जिमान को। अपने आँख से देखी*।" इस प्रकार वादिनी के द्वारा जिरह में किये गये उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि *वादिनी जब मौके पर पहुँची तो वहाँ अभियुक्तगण मौजूद नहीं थे बल्कि उसका लड़का चोटिल हालत में गिरा पड़ा था तथा उसके लड़के ने मारने वालों के नाम बताये थे*।

22. चूंकि अभियोजन द्वारा वादिनी के पुत्र राजकपूर को बतौर पीडब्लू–02 परीक्षित कराया गया है। अतः राजकपूर के बयान का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है। वादिनी के पुत्र राजकपूर ने बतौर पीडब्लू–02 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*मैं जाति का चमार हूं। मुल्जिम रामजीत, सत्यदेव कुर्मी जाति के हैं। घटना हुए 16 महीना हो गया। शाम 07.30 बजे की बात है। एक साड़ खेत चर रहा था, जिसे मैं खदेड़ रहा था, लेकिन साड़ गलती से मुल्जिम रामजीत के घर में घुस गया, जिससे मुल्जिमान काफी नाराज हो गए और मुझे भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए कहे कि चमार का*

<u>*लड़का साला मेरे घर में साड़ हाँक दिया और मुझे लाठी, डण्डा, लात–मूका से बुरी तरह मारे। मेरे शोर पर मेरी माँ मोहरी देवी तथा गांव के हृदयराम, शेषराम, श्यामलाल और साधू तथा गांव के तमाम लोग आ गये, जिन्होंने मेरी जान बचाई। मुल्जिमान रामजीत, सत्यदेव मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मेरी डाक्टरी पी०एच०सी० बांसी तथा गोरखपुर में हुआ था।*</u>"

23. इस प्रकार वादिनी के पुत्र ने बतौर पीडब्लू–02 अभियुक्त को स्पष्ट रूप से पहचानने व उनका नाम अपनी मुख्य परीक्षा में बताने के साथ ही घटना उसके बयान की तिथि से लगभग 16 महीने पहले होने का कथन करते हुए घटना का समय भी 07.30 बजे शाम का बताया है तथा घटना के विषय में यह स्पष्ट बताया है कि उसके खेत को सांड़ चर रहा था जिसे जब उसने खदेड़ा तो वह गलती से मुल्जिम रामजीत के घर में घुस गया जिससे अभियुक्त नाराज हो गया व उसे भद्दी गालियाँ देते हुए लाठी–डण्डों से मारा।

24. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया है कि मात्र प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा चूंकि घटना के समय अंधेरा था व जांड़े के मौसम के कारण कोहरा पड़ रहा था, ऐसे में चोटिल द्वारा अभियुक्त को देख पाना व पहचान पाना सम्भव नहीं था तथा चोटिल को गिरने से चोट आयी थी जो कि सांड के मारने से भी आ सकती है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा घटना साबित न होने का तर्क दिया गया है।

25. जवाब में अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया है कि चोटिल राजकपूर का साक्ष्य ही प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है तथा चिकित्सक साक्षी जिसने चोटिल की चोटों का परीक्षण किया था ने भी चोटिल को आई चोटों का समर्थन किया है।

26. चोटिल राजकपूर/pw–2 द्वारा अपनी जिरह के प्रारम्भ में ही यह बताया गया है कि घटना के समय जाड़े का मौसम था व अंधेरा हो गया था तथा सांड उसका खेत चर रहा था व चोटिल ने दीनानाथ का खेत बो रखा था। हाँलाकि साक्षी पीडब्लू–02 ने जिरह का0 सं0–13 क/2 में यह भी कहा है कि कोहरा भी पड़ रहा था परंतु कुहरे का असर चोटिल के देखने की क्षमता पर तब पड़ता जबकि अभियुक्त दूर होते। जाहिर है कि लाठी या डंडे से मारते समय चोटिल किसी अभियुक्त को आसानी से देख सकता था अतः अभियुक्त की ओर से दिए इस तर्क में कोई बल नहीं है कि कुहरे के कारण चोटिल अभियुक्त को देख नहीं पाया था बल्कि यह अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कर्तव्य था कि वे जिरह में चोटिल से यह पूछते कि क्या उसने अभियुक्त को घटना के समय कुहरे व अंधेरे में पहचाना था।

27. चोटिल राजकपूर/pw–2 द्वारा अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि उसे चोट लगी थी व वह मुँह के बल गिरा था तथा उसकी माँ शोर होने के 05.00 मिनट बाद पहुँची थी तथा जब उसे चोट लगी तो वह बेहोश नहीं हुआ था। जिरह का0 सं0–13 क/2 में चोटिल पीडब्लू–02 ने यह स्पष्ट बताया है कि वह अस्पताल में एक रात और एक दिन रूका था तथा उसकी माँ ने उसकी सेवा की व अस्पताल से दूसरे दिन शाम को उसे छुट्टी मिली थी। जिरह का0 सं0–13 क/3 में चोटिल राजकपूर ने बतौर पीडब्लू–02 यह स्पष्ट कथन किया है कि "<u>*मेरे शरीर पर बहुत जगह*</u>

<u>चोट लगी। एक जगह कटा था। इस चोट के अलावा मेरे शरीर पर कोई कटा फटा घाव नहीं था। मै खेत में गिर गया था। चोट लगने पर मैं उठ गया। मुझे जो चोट लगी थी, ईंट पत्थर की नहीं थी</u>।"

28. इस प्रकार चोटिल राजकपूर ने बतौर पीडब्लू–02 जहां अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा की गई मार–पीट से स्वयं को चोट आने का स्पष्ट कथन करता है वही जिरह में स्पष्ट कर देता है कि उसे जो चोट लगी थी वह ईंट–पत्थर से नहीं लगी थी। चोटिल राजकपूर/pw–2 से अभियुक्त की ओर से जिरह में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि चोटिल को अभियुक्त ने ही चोट पँहुचाई अथवा नहीं अतः जबकि चोटिल राजकपूर ने बतौर pw–2 अपनी जिरह में भी दीनानाथ का खेत जो सीवान की ओर है, को बोये होने व उसमें चर रहे सांड को खदेड़ने का स्पष्ट कथन किया है तथा चोटिल होने पर खेत में गिरने व शोर होने पर अपनी माँ व अन्य साक्षियों के मौके पर पहुँचने तथा अस्पताल में इलाज होने का भी स्पष्ट कथन किया है।

29. राजकपूर को आयीं चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक साक्षी डॉ रविकान्त सिंह को बतौर पीडब्लू–04 परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के दिन ही चोटिल राजकपूर की चोटों का परीक्षण करने का कथन करते हुए यह स्पष्ट कथन किया है कि "दिनांक 11.12.2015 को प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत था। उसी दिन सी०पी० 743 मिथिलेश सिंह थाना कोतवाली बांसी द्वारा चोटहिल राजकपूर उम्र 21 वर्ष पुत्र स्व० अपरबल ग्राम कड़सरा, थाना कोतवाली बांसी, जिला सिद्धार्थनगर को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसका पहचान स्वरूप दाहिने गाल पर काला तिल दर्ज किया गया। चोटहिल पूर्णतया होश हवास में था, जिसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गई–

> **1.** सिर पर मध्य रेखा से बायीं तरफ बायीं भौंहे से 08 सेमी० ऊपर एवं बायें कान से 12 सेमी० ऊपर 04 सेमी X 0.3 सेमी० गहराई, 0.3 सेमी का फटा हुआ घाव मौजूद था जिसमें सूजन व रक्त स्त्राव हो रहा था। चोटहिल द्वारा 20 मिनट तक बेहोश होना एवं 01 बार उल्टी होना बताया गया। सिर के सिटी स्कैन हेतु सलाह दी गई।
>
> **2.** सीने पर दाहिने की तरफ नीचे को ओर दर्द की शिकायत बताई गई। सांस लेने में कोई परेशानी नहीं थी। जाँच करने पर कोई अतिरिक्त परेशानी नहीं थी।
>
> चोट सं० 01 सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रही थी, जो ताजी थी। चोट सं० 01 के सीटी स्कैन जांच हेतु जिला अस्पताल सन्दर्भित किया गया था। चोट नं० 02 सामान्य प्रकृति की थी। का०सं० 7 क/1 आघात आख्या शामिल पत्रावली देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह मेडिकल रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षर व लेख में है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।"

30. हॉलांकि चिकित्सक साक्षी/ पीडब्लू–04 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि चोटिल को आयी चोटें दुर्घटनावश भी आ सकती हैं परन्तु यह अभियुक्त की जिम्मेदारी थी कि वे साबित करते कि चोटिल को आयी चोटें उनके द्वारा की गयी मारपीट की वजह से नहीं बल्कि दुर्घटना से आयी हैं।

31. जिरह में भले ही चोटिल राजकपूर ने बतौर पीडब्लू–02 तत्कालीन प्रधान के चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी की बात कही हो, यह नहीं माना जा सकता कि मात्र चुनावी रंजिश के कारण चोटिल अपने सर पर वार करके स्वयं को नुकसान पहुंचाकर अभियुक्त को झूठा फंसाने का काम करेगा।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Balu Sudam Khalde and Anr. vs. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 355 के मामले में चोटिल साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण के संबंध में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि "26. When the evidence of an injured eye–witness is to be appreciated, the under–noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind:

(a) The presence of an injured eye–witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded."

33. महत्त्वपूर्ण यह है कि चोटिल राजकपूर/ पीडब्लू–02 से जिरह में न तो घटना की तिथि न ही समय के बारे में कोई प्रश्न पूछे गये हैं न ही अभियुक्त द्वारा ही प्रश्नगत चोटें पहुँचायी गयी, इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा गया है, ऐसे में जबकि साक्षी पीडब्लू–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा उसे लाठी डण्डे व लात–मूके से चोट पहुँचाने का स्पष्ट कथन किया है व जिरह में तत्सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछे गये हैं व जबकि चोटिल पीडब्लू–02 जिरह में यह स्पष्ट कथन करता है कि उसे ईंट से प्रश्नगत चोट नहीं आयी यह साबित है कि अभियुक्त द्वारा ही राजकपूर को घटना के दिन चोटें पहुंचायी गयीं। अतः अभियुक्त की ओर से दिए गए इस तर्क में कोई बल नहीं है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश के कारण अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।

34. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए प्रकोपित करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है, तहरीर में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि वादिनी के पुत्र राजकपूर को घटना के समय अभियुक्त द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी

गयी। चूंकि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादिनी का पुत्र राजकपूर जो कि चोटिल है व मौके पर उसके अलावा कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं था। अतः चोटिल राजकपूर को बतौर पीडब्लू–02 मुख्य परीक्षा व जिरह में किये गये कथन का अवलोकन आवश्यक है।

35. पीडब्लू–02 राजकपूर ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि *एक साड़ खेत चर रहा था, जिसे मैं खदेड़ रहा था, लेकिन साड़ गलती से मुल्जिम रामजीत के घर में घुस गया, जिससे मुल्जिमान काफी नाराज हो गए और मुझे भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए कहे कि चमार का लड़का साला मेरे घर में साड़ हाँक दिया और मुझे लाठी, डण्डा, लात–मूका से बुरी तरह मारे। मेरे शोर पर मेरी माँ मोहरी देवी तथा गांव के हृदयराम, शेषराम, श्यामलाल और साधू तथा गांव के तमाम लोग आ गये, जिन्होंने मेरी जान बचाई। मुल्जिमान रामजीत, सत्यदेव मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मेरी डाक्टरी पी०एच०सी० बांसी तथा गोरखपुर में हुआ था।*" उपरोक्त मुख्य परीक्षा में किये गये कथन से स्पष्ट है कि चोटिल राजकपूर द्वारा घटना के समय उसे भद्दी–भद्दी गालियाँ दिये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का स्पष्ट कथन किया है। पीडब्लू–02 से जिरह में अभियुक्त द्वारा उसे गाली–गलौज दिये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं पूछे गये हैं। अतः यह साबित है कि अभियुक्त द्वारा चोटिल पीडब्लू–02 को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी दी गयी।

36. जहाँ तक लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक शब्दों से चोटिल को अभियुक्त द्वारा अपमानित किये जाने का प्रश्न है, उपरोक्त समस्त तथ्य व साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि घटना का कारण चोटिल को अपमानित करना नहीं था क्योंकि स्वयं चोटिल ने यह बताया है कि अभियुक्त के गुस्से का कारण यह था कि उसके द्वारा खेत से खदेड़ा गया सांड गलती से अभियुक्त रामजीत के घर में घुस गया था। यही नहीं घटना के समय रात थी तथा जिरह में चोटिल राजकपूर ने यह स्पष्ट किया है कि जब वह चोट लगने पर गिरा था तब वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। इस प्रकार न तो अभियुक्त का चोटिल को जातीय रूप से अपमानित करने का आशय था, न ही घटना के समय कोई आमजन का व्यक्ति मौके पर उपस्थित था। इस प्रकार *ऐसे में जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश बनाम पाटन जमाल वली, LL2021SC231, के मामले में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार से निवारण अधिनियम के प्रावधान किसी आपराधिक मामले में तभी आकर्षित होंगे जबकि जातिगत पहचान अपराध की घटना कारित करने हेतु एक आधार के रूप में होना स्पष्ट हो।*

37. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Hitesh Verma v. State of Uttarakhand, 2020 SCC OnLine SC 907, decided on 05.11.2020 *के मामले में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि "All insults or intimidations to a person will not be an offence under the Act unless such insult or intimidation is on account of victim belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe."*

38. अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन, अभियुक्त सत्यदेव के विरुद्ध धारा 323, 504, 506(1) भा०दं०सं० के आरोप हेतु दोषसिद्ध किये जाने तथा अनुसूचित जाति

एवं जनजाति (अत्याचार से निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

39. अभियुक्त सत्यदेव को धारा 323, 504, 506(1) भा०दं०वि० के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा 3(1)(x) एस सी एस टी ऐक्ट के आरोप हेतु दोषमुक्त किया जाता है।

40. दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यदेव जमानत पर है। दोषसिद्ध अभियुक्त के जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके समस्त दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनॉकः–16–03–2026 **(मनोज कुमार तिवारी–I)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।

जे०ओ० कोड–यूपी 1736

दिनॉकः–16–03–2026(लंच बाद)

41. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई।

42. दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यदेव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया है कि मामले के तथ्य व साक्ष्य की प्रकृति ऐसी नहीं है कि दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये। दोषसिद्ध अभियुक्त गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है। दोषसिद्ध अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है। उनका यह प्रथम अपराध है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को प्रोवेशन पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

43. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा वादिनी के पुत्र राजकपूर को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए लात–मूका, लाठी–डण्डा से मारपीट कर चोटें पहुँचाईं गयी हैं। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिक–से–अधिक सजा दी जाये।

44. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में मैंनें पुनः पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

45. दण्ड देते समय न्यायालय को राज्य के कानून, दोषसिद्ध अभियुक्त, पीड़ित एवं समाज सम्बन्धी बिन्दुओं पर विचार करना होता है। उभयपक्षों के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 323, 504, 506(1) भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। वर्ष 2015 की घटना से सम्बन्धित यह आपराधिक वाद लम्बित है। मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से साशय विलम्ब नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस अन्तराल में दोषसिद्ध अभियुक्त को मानसिक एवं शारीरिक यातना हुई होगी। दोषसिद्ध अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है अथवा दौरान बहस ऐसा कोई तथ्य

संज्ञान में नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो कि दोषसिद्ध अभियुक्त की पूर्व में किसी आपराधिक मामले में दोषिसिद्धि हुई हो। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका है कि दोषसिद्ध अभियुक्त का शील या पूर्ववर्ती आचरण अच्छा नहीं रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यायिक उदारता का परिचय देते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

46. दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यदेव को आदेशित किया जाता है कि वह बतौर क्षतिपूर्ति दो हजार रूपये चोटिल राजकपूर को अदा करेगा। क्षतिपूर्ति अदा न करने पर उसकी वसूली जुर्माने की वसूली के रूप में की जा सकेगी।

47. दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यदेव को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाता है तथा दोषसिद्ध अभियुक्त को तत्काल दण्डित न कर उसे आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय का बीस हजार रूपये का स्वबंधपत्र दाखिल करे कि वह जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष बीस हजार रूपये का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू भीतर पन्द्रह दिवस दाखिल करेगा तथा प्रत्येक तीसरे माह की पाँच तारीख को अथवा अगले कार्य दिवस को वह जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेगा। दोषसिद्ध अभियुक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष भीतर पन्द्रह दिवस इस आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान शांति एवं सद्भावना बनाये रखेगा तथा वे कोई अपराध कारित नहीं करेगा अन्यथा उन्हें तलब करते हुए कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा। परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष की होगी। इस आदेश एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

48. निर्णयादेश की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाय।

49. निर्णयादेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

दिनॉकः–16–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड–यूपी 1736

50. निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनॉकः–16–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड–यूपी 1736